



राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
नासिन कॉम्प्लेक्स, सेक्टर - 29, फरीदाबाद - 121008
National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
NACIN Complex, Sector - 29, Faridabad - 121008
फोन/Telephone: 0129-2504652-54
फैक्स/Fax: 0129-2504632

(ई-मेल के माध्यम से)

फा.सं. NACIN/ TRNG/ 914 /2022-I-S-TRNG

दिनांक: 12.2022

महोदया/महोदय,

विषय:- नासिन, फरीदाबाद द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए "International Customs: Institutions, Conventions, Agreements (WTO/WCO, Conventions & Agreements)" विषय पर दिनांक 23.01.2023 से 25.01.2023 को ऑफलाइन प्रशिक्षण के संबंध में।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद द्वारा दिनांक "23.01.2023 से 25.01.2023" को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए " International Customs: Institutions, Conventions, Agreements (WTO/WCO, Conventions & Agreements)" विषय पर ऑफलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

2. उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सीबीआईसी के ग्रुप 'ए' के अधिकारियों को नामित किया जा सकता है। नामांकन केवल अधोलिखित EXCEL प्रोफॉर्म में ही भेजे जाये।

Sr. No	Name of the Officer	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (In capital letters)
--------	---------------------	-------------	-------------	------------------	------	------------	-------------------------------

3. नामांकन दिनांक 20 जनवरी, 2023 साँय 5 बजे तक केवल ई-मेल के माध्यम से, ई-मेल आईडी-istnacin-faridabad@gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

4. उपर्युक्त प्रशिक्षण सत्र से संबन्धित किसी भी जानकारी हेतु श्री अखिलेश मीना, अपर सहायक निदेशक (Mob. 8586863515) एवं श्रीमती विक्रान्त राठी, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9999011815) से संपर्क किया जा सकता है।

5. नामांकन पत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अनुज शर्मा)

सहायक निदेशक

प्रतिलिपि

प्रेषण:

1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
3. प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सीबीआईसी के तहत सभी निदेशालय)
4. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
5. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क
6. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क

I/910696/2022

7. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, लेखापरीक्षा आयुक्तालय
8. सीबीआईसी एवं नासिन वैबसाईट